न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 55/2022

उदयभान पुत्र किशनाराम, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुन दिनांक 29.04.2022 बअदालत नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी सरकार बनाम उदयभान अ0 धारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 74/2022 आदेश दिनांक 29.04.2022।

उपस्थितिः—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 30.5.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार बुहाना ने अपीलांट्स को जमीन हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.85 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड़ सरहद मौजा रायपुर अहीरान में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 29.04.2022 को पारित किया। प्रकरण में अपीलांट्स अतिक्रमी नही है तथा अपीलान्ट्स पर धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अदालत मातहत ने अपीलांट्स के जवाब नोटिस को बिना डिसकस किये निर्णय जैर बहस पारित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से तथाकथित अतिक्रमण साबित नही है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई व साल सम्वत् दर्ज नही है। इससे यह साबित होता है कि अदालत मातहत ने मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को आराजी हाल खसरा नम्बर 177 सरहद मौजा रायपुर अहीरान पर अतिक्रमी होना बताया है। उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 177 के गत खसरा नम्बर 27 है। हाल खसरा नम्बर 177 के सटकर पश्चिम दिशा में आराजी हाल खसरा नम्बर 176 स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 44 मीन है। अपीलांट अपनी सहखातेदारी की जमीन हाल खसरा नम्बर 176 में आबाद है। हाल खसरा नम्बर 176 का नक्शा गत नक्शा शीट के मुताबिक नही बना है और हाल नक्शा शीट को छोटा बना दिया गया है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया और उक्त सारवान बिन्दु को बिना डिसकस किये मनमर्जी से अपीलांट के विरूद्ध निर्णय किया गया। कानून से जब कोई पक्षकार दफा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रकरण में सारवान तथ्य रखता है तो उस सूरत में समरी प्रोसेडिंग के मार्फत कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नही है। अदालत मातहत को विवादित खसरा नम्बर के गत व हाल नक्शा सीट का मिलान कर गत नक्शा सीट के मुताबिक माप करवाकर निर्णय पारित करना चाहिए था जो नही कर तथ्य व विधि की भूल की है। इस प्रकार अदालत मातहत ने महज हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना दिनांक 29.04.2022 का आलौच्य निर्णय पारित किया हैं। अतः अपील स्वीकार कर अदालत मातहत नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 29.04.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने अपीलांट को आराजी हाल खसरा नम्बर 177 सरहद मौजा रायपुर अहीरान पर अतिक्रमी होना बताया है। उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 177 के गत खसरा नम्बर 27 है। हाल खसरा नम्बर 177 के सटकर पश्चिम दिशा में आराजी हाल खसरा नम्बर 176 स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 44 मीन है। अपीलांट अपनी सहखातेदारी की जमीन हाल खसरा नम्बर 176 में आबाद है। हाल खसरा नम्बर 176 का नक्शा गत नक्शा शीट के मुताबिक नही बना है और हाल नक्शा शीट को छोटा बना दिया गया है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया और उक्त सारवान बिन्दु को बिना डिसकस किये मनमर्जी से अपीलांट के विरूद्ध निर्णय किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 29.04.2022 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलांट राजकीय भूमि पर आबाद नही होकर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 176 में आबाद है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब की विवेचना किये बिना ही समरी निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2022 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 मुकदमा संख्या 74/2022 उनवानी सरकार बनाम उदयभान अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।